जमानत आवेदन संख्या–165 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार दिनांक 30.03.2026

1. अजय कुमार मुखिया पुत्र स्व0 रामफाल मुखिया.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार.....विपक्षी

==========

आवेदक की ओर से : श्री प्रदीप कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==========

आदेश

30.03.2026 यह नियमित जमानत आवेदन काराधीन / अभियुक्त **1. अजय कुमार मुखिया** जो दिनांक 21.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, कि ओर से धारा–483 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत मनीगाछी थाना कांड संख्या–13 / 2026, अन्तर्गत धारा–309(4) बी0एन0एस0 जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, षष्ठम्, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित हैं, में जमानत आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहॉ दाखिल किया गया, जिसे सुनवाई हेतु इस न्यायालय में हस्तानांतरण कर भेजा गया।

2. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. अभियोजन वाद संक्षेप में सूचक के आवेदनानुसार यह है कि दिनांक 18.01.2026 को करीब 19.15 बजे कौआ गाछी के पास कुछ बदमाश युवक द्वारा सूचक को घेरकर स्पेलेन्डर मोटर साईकिल रजि0 न0-BR33Y-3852 तथा मोबाईल जिसका न0 8789976513 एवं 7324070650 था तथा पर्स जिसमें 2000 / – (दो हजार) रूपया, और पैन कार्ड, आधार कार्ड था। छीनने के बाद सभी बदमाश भाग गये।

4. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन न तो कहीं दाखिल किया गया है और न ही किसी वरीय न्यायालय में लंबित है। आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। सूचक का कोई चोट नहीं, कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। आवेदक के पास से कोई चोरी की वस्तु बरामद नहीं किया गया है। आवेदक दिनांक 21.01.2026 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक / अभियुक्त न्यायालय के संतुष्टि के लिए उचित राशि का बंधपत्र देने को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 30.03.2026**

जमानत आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई।

6. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख एवं केस दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत कांड धारा–309(4) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 7 में वादी का पुनः बयान तथा 8 एवं 9 में घटना का समर्थन किया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। कंडिका 36 में कहा गया है कि आवेदक / अभियुक्त के निशानदेही पर गाछी के पीछे भाग में स्थित झाड़ी से मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। आवेदक / अभियुक्त के अधिपत्य से कोई चोरी की वस्तु बरामद नहीं की गई है। कंडिका 94 में आवेदक के विरूद्व कोई अपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 21.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक / अभियुक्त की न्यायिक अवधि को और अधिक बढ़ाने का कोई विशेष कारण परिलक्षित नहीं होता है।

7. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारावधि को ध्यान में रखते हुए, आवेदक / अभियुक्त **1. अजय कुमार मुखिया** को **10,000 / –** रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ निम्न न्यायालय में बंध–पत्र दाखिल करने पर, निम्न न्यायालय की संतुष्टि होने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि – 1. एक जमानतदार करीबी संबंधी होगा, 2. आवेदक अभियुक्त कांड के अनुसंधान में सहयोग करेगा।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0 / –

(उपेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम, दरभंगा।

Date of Judgment/Order	30-03-2026
Date of Reserving Judgment/Order	30-03-2026
Uploading Date	04-04-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)